न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

/प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
59/25	212 RTA	तीतरखेडी	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
सीताराम	बनाम	जगदीश वगै0

वकील :–	श्री हेमन्त पारीक	आदेश पत्रक	वकीलः–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
01.07.2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजी वाके ग्राम तीतरखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 268/4 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 340/12 रकबा 0.0759 है0 खसरा नम्बर 340/14 रकबा 0.1518 है0 खसरा नम्बर 341 रकबा 0.6829 है0 कुल किता 4 रकबा 0.9484 है0 अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 का जन्म से ही अधिकार है प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है अप्रार्थी क्रम 1 उक्त आराजी को रहन बेचान करने पर आमादा है इसलिए दावा घोषणा खातेदारी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। अप्रार्थीगण भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग खुर्द–बुर्द बेचान नही करे। इसलिए अप्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबनद करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों से यह जाहिर है कि भूमि पैत्रक है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा दोनो पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है प्रकरण की इस परिस्थितियों को देखतें हुए कोई अनावश्यक विवाद पैदा ना हो। गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उक्त विवादित भूमि को आज दिनांक की मौके की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामील के सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रक्रिया रजिस्टार डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र व रसीद भी पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से पेश किया हुआ मान कर एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करें तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक निस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई। है में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 21.07.2025 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
21-7-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी क्र 1 ता 7 की ओर से श्री ब्रजमोहन गालव एड. का वकालतनामा पेश हुआ। पत्रावली पूर्व स्थगन यथावत रहेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 1.9.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

न्या

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
5.8.25	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वाद पत्र विड्रो करने बाबत पेश करने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद विड्रो किया जा चुका है इस प्रकरण में किसी प्रकार की सीतारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA विड्रो किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। [signature]